

सह-जिला दण्डाधिकारी, बोकारो का न्यायालय, बोकारो
अनुसूची - 14 - फारम संख्या - 562

D.M.O. Bokaro (State)

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

S.P. Singh & Shree

आदेश पत्रक ता. 20/01/2021 से तक Bholey Alloys Pvt. Ltd.
जिला: Bokaro संख्या 43/2020-21 सन् 2021
केस का प्रकार Confiscation case

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20/01/2021	जिला खनन पदाधिकारी-सह-अध्यायना पदाधिकारी, बोकारो के अध्यायना सं०-22/2020, दिनांक-15.12.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर बालोडीह थाना कांड सं०-111/2020 दिनांक-26.06.2020, द्वारा 379 भा०द०वि० एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त वाहन सं०-JH09AL-1324 एवं उस पर लदा करीब 20 टन मैंगनीज खनिज के मालिक/ट्रांसपोर्टर श्री एस०पी०सिंह एवं Shree Bholey Alloys Pvt. Ltd के Director, Mr. Rakesh Singh बालोडीह जिला बोकारो के दिवंगत दर्ज किया गया है। फरवरी 2017 The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं मैंगनीज को राजस्वगत की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख जमाना पढा के आदेशार्थ उनके समक्ष न्यायालय में रखे। 20/01/2021 प्रभाषी पढाधिकारी	12/03/21 24/03/21
05/02/2021	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी की सूचना निर्गम करें। अभिलेख युनवाई हेतु दिनांक - 05/03/2021 को रखें। 05/02/2021	05/02/2021 06/02/2021 8/3/2021 बालोडीह थाना Bokaro
05/03/2021	विपक्षी की ओर से वकालतनामा के साथ प्रारंभिक एवं preliminary objection concerning maintainability of the confiscation proceeding दर्जकल किया गया है। जमाना पढा के आदेशार्थ उनके समक्ष न्यायालय में रखे। 05/03/2021 प्रभाषी पढाधिकारी	

1

2

3

12/03/2021

विपक्षी की वकालतन इजिरी है।
जीहासीन पदार्थ अन्य रास्ते में जात है।
To 26/03/2021

प्रभाषी पदार्थ
12/03/2021

26/03/2021

विपक्षी की वकालतन इजिरी है।
जीहासीन पदार्थ अन्य रास्ते में जात है।
To 13/04/2021

प्रभाषी पदार्थ
13/04/2021

13/04/2021

विपक्षी की वकालतन इजिरी है।
जीहासीन पदार्थ अन्य रास्ते में जात है।
To 11/05/2021

11/05/2021

विपक्षी अनुपस्थित।
जीहासीन पदार्थ अन्य रास्ते में जात है।
To 22/06/2021

प्रभाषी पदार्थ

22/06/2021

विपक्षी अनुपस्थित।
जीहासीन पदार्थ अन्य रास्ते में जात है।
To 23/07/2021

प्रभाषी पदार्थ

23/07/2021

विपक्षी अनुपस्थित।
जीहासीन पदार्थ अन्य रास्ते में जात है।
To 24/08/2021

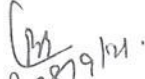
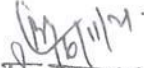
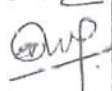
प्रभाषी पदार्थ
24/08/2021

24/08/2021

विपक्षी अनुपस्थित।
जीहासीन पदार्थ अन्य रास्ते में जात है।
To 28/09/2021

प्रभाषी पदार्थ
28/09/2021

प्रभाषी पदार्थ

आदेश की क्रम संख्या आर तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख ग्रहित
<u>28/09/2021</u>	विपक्षी अनुपासित। पुनः विपक्षी की वकालतन आजिरी है। जीवासीन पदार्थ अन्य कार्य में व्यस्त है। To 16/11/2021  ज्योती चौधरी	
<u>16/11/2021</u>	विपक्षी अनुपासित। जीवासीन पदार्थ अन्य कार्य में व्यस्त है। To 17/12/2021  ज्योती चौधरी	
<u>17/12/2021</u>	विपक्षी की वकालतन आजिरी है। उनके विज्ञान शक्तिवत्ता के द्वारा जमा है। Put up on 07/01/2022  ज्योती चौधरी	
<u>07/01/2022</u>	विपक्षी की वकालतन आजिरी है। जीवासीन पदार्थ अन्य कार्य में व्यस्त है। To 08/02/2022  ज्योती चौधरी	
<u>08/02/2022</u>	जिला स्तर पर पदार्थ, बीबी के पत्र-94 दिनांक-12/01/2022 के द्वारा जानकारी इच्छा न्यायालय, आलोक रॉन्धी के WP(Cr) No. 77 of 2021 में दिनांक- 27/09/2021 के पारित आदेश की उद्देश्य उपलब्ध हुआ था है। विपक्षी अनुपासित विश्व सहायक लोक शक्तिवत्ता, बीबी को शुद्ध था। विपक्षी और जानकारी इच्छा न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन भी करने का अनुरोध	

1

2

3

अकसर प्रदान किया जाता है। इन
आदेशों का अनुपालन का विपक्षी अपन
पक्ष अगली निर्धारित तिथि 15/02/2022
को निश्चित रूप से रखे।

awp

15/02/2022

विपक्षी व ओर से वकालतम
अतिरिक्त 3 लाख रुपये आवेदन दाखिल
किया गया है।

जीएसटी पत्र अन्त करने के लिये
है To 11/03/2022

आवे पत्र

11/03/2022

विपक्षी व ओर से वकालतम अतिरिक्त
के साथ *provision for provisions in*
deposit cost of 20 tonnes of
manganese (Manganese ore) का/000
किया गया है।

जीएसटी पत्र अन्त करने के
लिये है To 08/04/2022

11/03/2022
आवे पत्र

08/04/2022

विपक्षी व ओर से वकालतम अतिरिक्त
है इनके विधान अधिवक्ता के सुनाववा
जिला खान पब्लिकार्स, कोल्हा के अगली
निर्धारित तिथि के उपस्थित होने का निर्देश
दो अगिलेख दिनांक- 29/04/2022 से
रखे।

awp

विपक्षी अनुपस्थित

दिनांक 07/06/2022

awp

29/04/2022

108/अग्रा
09/04/2022
DPO. BONGLO.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में दिप्पणी तारीख ग्रहित
07/06/2022	विपक्षी अनुपालन। पीएमएन पदार्थ चक्र और प्रै. पत्रावृत्ति है। To 05/07/2022 15/06/2022 प्रार्थी चक्र	
05/07/2022	विपक्षी की ओर से वकालतन अर्जिषी है। इसके विधान अधिवक्ता को सुना गया। दिनांक 11/03/2022 की विपक्षी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय आलोक, बैंगलूर के W.P.(Cr.) No. 77 of 2021 के आलोक में दर्जित आवेदन पर प. जिला रकन पदार्थ, बोकली से प्रतिकेदन की प्रार्थना की। दायित्व दिनांक - 02/08/2022 को रहे। <i>[Signature]</i>	15/06/2022 06/07/2022 DPO, BOKOLI
02/08/2022	जिला रकन पदार्थ, बोकली के पत्रावृत्ति - 1483/रकन दिनांक - 25/07/2022 से प्रतिकेदन प्राप्त है। विपक्षी की वकालतन अर्जिषी है। विधान अधिवक्ता एवं जिला रकन पदार्थ बोकली को सुना गया। विपक्षी के माननीय उच्च न्यायालय, आलोक बैंगलूर के W.P.(Cr.) No. 77 of 2021 में पत्रावृत्ति के अनुपालन में प्रथमगत मैगनीज अयस्क का मुगगाय इच्छित प्रीति में जमा करने हेतु जिला रकन पदार्थ, बोकली को सम्पर्क किया। Put up on 23/08/2022 <i>[Signature]</i>	Seen Andi New 05/08/2022

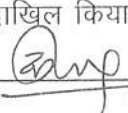
1	2	3
<u>28/08/2022</u>	विपक्षी अनुपस्थित। जीवासीन पक्षी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 16/09/2022	
<u>16/09/2022</u>	विपक्षी अनुपस्थित। जीवासीन पक्षी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 18/10/2022	
<u>18/10/2022</u>	विपक्षी की ओर से वकालतन अर्जित है साथ petition for direction to release 20 tonne of Minerals (manganese ore) द्वारान्त किया गया है। जीवासीन पक्षी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 01/11/2022	
<u>01/11/2022</u>	विपक्षी की ओर से वकालतन अर्जित है। जीवासीन पक्षी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 29/11/2022	
<u>29/11/2022</u>	विपक्षी की ओर से वकालतन अर्जित है। जीवासीन पक्षी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 02/12/2022	

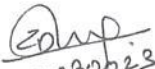
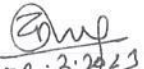
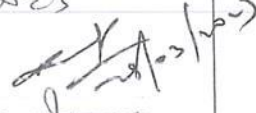
C.E. Issued With
No. 170 Dated 22/10/22

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख ग्रहित
<u>02/12/2022</u>	विपक्षी की ओर से वकालतन हैं जीवनीय पदों इनमें में वक्त हैं To 30/12/2022 आप पदों	
<u>30/12/2022</u>	विपक्षी की ओर से वकालतन हैं जीवनीय पदों इनमें में वक्त हैं To 20/01/2023 आप पदों	
<u>20/01/2023</u>	विपक्षी की वकालतन हैं जीवनीय पदों इनमें में वक्त हैं To 07/02/2023 आप पदों	
<u>07/02/2023</u>	विपक्षी अनुपस्थिति पुनः पुनः 28/02/2023 आप पदों	
<u>28/02/2023</u>	विपक्षी की ओर से वकालतन हैं इनमें विधान अधिनियम को सुना गया But up on order. आप पदों	

1	2	3
02/03/2023	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी-सह-अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-22/2020, दिनांक-15.12.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर बालीडीह थाना कांड सं०-111/2020, दिनांक-26.06.2020, धारा-379 भा०द०वि० एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त वाहन सं०-JH09AL-1324 एवं उस पर लदा करीब 20 टन मैंगनीज खनिज के मालिक/ट्रांसपोर्टर श्री एस०पी०सिंह एवं Shree Bholey Alloys Pvt.Ltd के Director, Mr. Rakesh Singh बालीडीह जिला बोकारो के विरुद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं मैंगनीज के राज्यराज की कार्यावाही (पद बाद) अदालतस्थानी के न्यायालय में चल रही है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा कहा गया कि जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से दायर इस वाद को लेकर विपक्षी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P.(Cr.) NO. 77 of 2021 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, दिनांक-27.09.2021 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया- "13.In view of Rules 54(5) of the Jharkhand Minor Mineral Concession Amendment Rules, 2017, by way of interim order, the following orders are being passed:- (i) The petitioner shall deposit the double amount of the cost of the minerals before the Deputy Commissioner, Bokaro. (ii) If the amount in question shall be deposited for the release of the said minerals, the said minerals shall be released forthwith without	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
	<i>prejudice to the right and contention of the petitioner, subject to the final result of the criminal proceedings.</i> <i>14. So far as the release of the vehicle is concerned, the same shall be released in favour of the petitioner on his undertaking on the following terms and conditions:-</i> <i>(i) The petitioner shall furnish an indemnity bond to the satisfaction of the court below.</i> <i>(ii) One of the surety must be a resident and owner of a commercial vehicle of District Bokaro (Jharkhand).</i> <i>(iii) That the petitioner shall not sale, mortgage or transfer the ownership of the vehicle on hire purchase agreement or mortgage or in any manner.</i> <i>(iv) He shall not change or tamper with the identification of the vehicle in any manner.</i> <i>(v) He shall produce the vehicle as and when directed by the Trial Court or before the confiscating authority.</i> <i>15. The aforesaid conditions are the subject to the final result of the confiscation proceeding and the criminal proceedings.</i> <i>16. With the aforesaid observations and directions, this writ petition is allowed and disposed of."</i> माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी के द्वारा 20 टन मैंगनीज खनिज का दोगुनी राशि रुपये 1,63,000.00 (एक लाख तिरैसठ हजार) मात्र ई-चालान GRN:-2213250340 दिनांक-02.09.2022 के माध्यम से BKRNM1001-DIST. MINING OFFICER, MINING OFFICE, Department of Industries, Mining & Geology के पक्ष में जमा करते हुए चालान की प्रति दाखिल किया गया है। 	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
28/03/2023	उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अंतरिम आदेश पारित करते हुए बालीडीह थाना कांड सं०-111/2020, दिनांक-26.06.2020 के अन्तर्गत जप्त 20 टन मैंगनीज अयस्क को विमुक्त किया जाता है। तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें। वाद की अगली सुनवाई दिनांक-28.03.2023 को निर्धारित की जाती है। लेखापित्र एवं संग्रोहित।  02.03.2023 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।  02.3.2023 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो। विपक्षी की ओर से नकारात्मक जानकारी दी गई है। जांचाधीन पक्षों के नामों के चयन हैं। तः 21/04/2023	
21/04/2023	 21/04/2023 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो। विपक्षी अनुपस्थित। तः 09/05/2023	
09/05/2023	 09/05/2023 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो। विपक्षी की नकारात्मक जानकारी है एवं सूची के अनुसार कार्रवाई दायित्व किया गया है। पुनः further for information दायित्व किया गया है कि इन अविवरता को सुना गया एवं दायित्व कार्रवायों का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, सैली के WP (Cr.) No.- 77 वृ 2021 के पारित आदेश है	

